

वादी की और से श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री अमरीक सिंह सन्धू अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 07.10.21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिकी की जाती है कि चक 13 एसटीजी खाता संख्या 19/11 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.554 है में 1.518 हैक मय गैरमुमकिन का वादी 1.518 है मय गैरमुमकिन का प्रतिवादी संख्या 1 व 1.518 है मय गैरमुमकिन का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / विरानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। आदेश आज दिनांक 07.10.21 को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

हनुमान

3